उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-23/695/एक-1-2016-20(8)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 27 मई, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-219 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति राजस्व परिषद को प्रत्यायोजित करते हैं।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-23/696/एक-1-2016-20(8)/2016
लखनऊ: दिनॉक: 27 मई, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 एवं 6 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 और 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5- उक्त सूचना- (क) सरकारी गजट में, (ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी, और	5- उक्त सूचना- (क) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी, और (ख) परिषद की बेवसाइट पर अपलोड की

shasnadesh.up.nic.in

(ग) परिषद की बेवसाइट पर अपलोड की जायेगी।	जायेगी।
6-(1) इस अध्याय के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचारण निम्नलिखित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा : (क) अध्यक्ष, राजस्व परिषद (अध्यक्ष) (ख) प्रमुख सचिव, न्याय (सदस्य) (ग) प्रमुख सचिव, राजस्व (सदस्य) (घ) प्रमुख सचिव, गृह (सदस्य) (ड.) प्रमुख सचिव, वित्त (सदस्य) (च) सचिव, राजस्व परिषद (सदस्य सचिव)	6-(1) इस अध्याय के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचारण निम्नलिखित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा : (क) अध्यक्ष, राजस्व परिषद- अध्यक्ष (ख) मण्डलायुक्त, लखनऊ- सदस्य (ग) उस मण्डल का आयुक्त जिसमें राजस्व क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो- सदस्य (घ) सचिव, राजस्व परिषद- सदस्य-सचिव
(2) समिति आपत्तियों यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को आख्या प्रेषित करेगी, और वह समिति द्वारा प्रेषित आख्या और जनता से आयी आपत्तियों, यदि कोई हो, पर भी विचार करने के बाद, समुचित विनिश्चय करेगी।	(2) समिति, आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद, राजस्व परिषद को आख्या प्रेषित करेगी, जो समिति द्वारा प्रेषित आख्या और जनता से आयी आपत्तियों, यदि कोई हों, पर भी विचार करने के बाद, समुचित विनिश्चय हेतु अपनी टिप्पणियों के साथ आख्या राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। राज्य सरकार परिषद द्वारा प्रेषित आख्या पर विनिश्चय करेगी।

आर0सी0 प्रपत्र-1 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये आर.सी. प्रपत्र-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान-प्रपत्र	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
आर0सी0 प्रपत्र-1 (देखें नियम-4) अधिसूचना संख्या:.....दिनॉक:.....	आर0सी0 प्रपत्र-1 (देखें नियम-4) अधिसूचना संख्या:.....दिनॉक:.....

shasnadesh.up.nic.in

सार्वजनिक नोटिस	सार्वजनिक नोटिस
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 6 (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि राज्य सरकार ने निम्न राजस्व क्षेत्रों के सीमाओं को एकीकरण/पुनर्सामंजस्य द्वारा/विभाजन द्वारा/विलोपन द्वारा/विनिर्माण द्वारा/नाम में प्रत्यावर्तन/किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। 1. राजस्व क्षेत्र का विवरण:..... 2. प्रत्यावर्तन का विवरण:..... इस नोटिस को उ0प्र0 गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 45 दिनों के पश्चात इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। इस सन्दर्भ में कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ को उक्त समय की समाप्ति के पूर्व प्रेषित किया जा सकता है। सचिव, उ0प्र0 शासन	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा 6 (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि कलेक्टर/मण्डलायुक्त.....(जिला का नाम/कमिश्नरी) ने निम्न राजस्व क्षेत्रों की सीमाओं को समामेलन /पुनर्सामंजस्य /विभाजन /विलोपन /विनिर्माण /नाम में प्रत्यावर्तन/किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया है:- 1- राजस्व क्षेत्र का विवरण:..... 2- प्रत्यावर्तन का विवरण:..... उपर्युक्त प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों के पश्चात् विचार किया जायेगा। इस सन्दर्भ में कोई भी आपत्ति लिखित रूप में सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रेषित की जा सकती है। (आयुक्त एवं सचिव) राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in